न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 48/2017

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रघुवीर सिंह पुत्र श्री देवीलाल ताखर, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. निर्मला पत्नी श्री नरेश गोदारा पुत्री श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मोनिका पत्नी श्री रणजीत जाखड़ पुत्री श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश ग्रेवाल अधिवक्ता — वादी
2. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.05.2017

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के परदादा खेतपाल पुत्र श्री नेतराम के नाम से गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के गांव 13 एल.एन.पी. प्रथम पटवार हल्का बख्तांवाली व 2 एच.एच. प्रथम नेतेवाला के विभिन्न मुरब्बों में कृषि भूमि दर्ज थी। वादी के परदादा का देहान्त होने पर उसके आराजी का इन्तकाल वारिसान उसके तीनों पुत्र देवीलाल, बद्रीनारायण व गिरधारी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हो गया। इन्तकाल की कॉपी संलग्न दावा है।

वादी के दादा देवीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही इस प्रकार प्राप्त जद्दी जायदाद कृषि भूमि रघुवीर व विश्वजीत को हिस्सानुसार दे दी। इस प्रकार प्राप्त भूमि गांव 13 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 26 की 2.494 हैक्टर खाता संख्या 46, मुरब्बा नम्बर 43 की 0.418 हैक्टर एवं गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 हैक्टर वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जिसकी प्रतिलिपि संलग्न दावा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी के पिता को वादी के परदादा से प्राप्त हुई भूमि जद्दी जायदाद प्राप्त हुई जिसमें वादी का जन्म से अधिकार होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरेलू बंटवारा कर बंटवारे अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा वादी को दे दिया गया। घरेलू बंटवारे अनुसार वादी चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 46 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 के कुल रकबा 1.924 हैक्टर, किला नम्बर 25 में 0.1 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर, गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 की किला नम्बर 23, 24, 25 पर काबिज हो गया व आज दिनांक तक इसी अनुसार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण से बार–बार इस प्रकार प्राप्त हुई भूमि में वादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने व खाता विभाजन का आग्रह किया परन्तु प्रतिवादीगण आज तक टालमटोल करते रहे। प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 08.04.2017 को साफ इन्कार कर दिया और भूमि को बैय करने की धमकी देने लगे। यही कारण है कि उपरोक्त दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाना आवश्यक हो गया है।

इस प्रकार प्राप्त हुई भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद में वर्णित भूमि जो रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से दर्ज है, प्रतिवादी का नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा वादी भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है जिसके लिये खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादी अनुचित रूप से लाभ उठाकर भूमि का बेचान करना चाहता है।

अतः श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न डिक्री पारित की जावे :–

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादी संख्या–1 को वादी के परदादा से वाद में वर्णित वारिसान प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम हटाकर वादी का नाम घरेलू बंटवारे अनुसार दर्ज कर वादी को चक 13 एल.एन.पी प्रथम के खाता संख्या 46 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 के कुल रकबा 1.924 हैक्टर, किला नम्बर 25 में 0.1 हैक्टर, गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 23, 24, 25 कुल 0.759 हैक्टर व तीनों मुरब्बों की कुल 2.783 हैक्टर का खातेदार घोषित कर, प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण शून्य होने के कारण वादी के अधिकारों पर बेअसर है।
2. वादी को चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 46 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 के कुल रकबा 1.924 हैक्टर, किला नम्बर 25 में 0.1 हैक्टर, गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 23, 24, 25 कुल 0.759 हैक्टर व इस प्रकार तीनों मुरब्बों की कुल 2.783 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज कर खाता विभाजन करवाया जाकर वादी के हिस्से की भूमि किला वाईज दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे।
3. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या–1 के खिलाफ दर्ज की जाकर उनको भूमि रहन, बैय, मुन्तकिल करने से रोके जाने का आदेश फरमाया जावे।
4. या अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.05.2017 को वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 नें राजीनामा मय शपथ जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री राजेश ग्रेवाल अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अन्तर्गत कथन किया कि वादी द्वारा मांगे गये अनुतोष के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है क्योंकि कि वादी एवम् प्रतिवादीगण नें लोक अदालत की भावना से पारिवारिक समझौता कर लिया है। जिसके अनुसार वाद में वर्णित अनुतोष को स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री करनें में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई एतराज नहीं है।

अतः श्रीमान् न्यायालय में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर वाद में वर्णित अनुतोष वादी के परदादा से वाद में वर्णित वारिसान प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम हटाकर वादी का नाम घरेलू बंटवारे अनुसार दर्ज कर वादी को चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 46 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 के कुल रकबा 1.924 हैक्टर, किला नम्बर 25 में 0.1 हैक्टर, गांव 2 एच. एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 23, 24, 25 कुल 0.759 हैक्टर व तीनों मुरब्बों की कुल 2.783 हैक्टर का खातेदार घोषित कर वादी के हिस्से की भूमि किलावाईज दर्ज कर खाता विभाजन करने का आदेश वादी के पक्ष में स्वीकार फरमाया जाकर वाद का निस्तारण करने का कष्ट करें।

स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि वादीगण एवम् प्रतिवादी का आपसी भूमि के विभाजन का विवाद है। राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र भी राजीनामा के साथ ही प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत राजीनामा के बिन्दूओं को ही दोहराया जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 26 की 2.494 हैक्टर खाता संख्या 46, मुरब्बा नम्बर 43 की 0.418 हैक्टर एवं गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 हैक्टर वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का उभय पक्ष के मध्य राजीनामा अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी के पिता रघुवीरसिंह के

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नाम चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 26 की 2.494 हैक्टर खाता संख्या 46, मुरब्बा नम्बर 43 की 0.418 हैक्टर एवं गांव 2 एच.एच. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 हैक्टर कुल 4.936 हैक्टर भूमि मे से वादी को 2.783 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी पृथ्वीराज पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 एल. एल.पी. प्रथम	46	26	4/.253, 5/.228, 6/.228, 7/.253, 17/.253, 15/.228, 16/.228, 17/.253, 25/.100	2.024 हैक्टर
2 एच. एच. प्रथम	21	21	23/.253, 24/.253, 25/.253	0.759 हैक्टर
				कुल भूमि :– 2.783 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर सिंह पुत्र श्री देवीलाल ताखर, जाति जाट, निवासी गांव नेतेवाला, पो.ओ. नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 एल. एल.पी. प्रथम	46	26	23/1 का 0.140, 24/.228, 25/.102	0.470 हैक्टर
		43	9/2 का 0.190, 10/ का 0.228	0.418 हैक्टर
2 एच. एच. प्रथम	21	21	16/.253, 17/.253, 18/.253, 19/.253, 22/.253	1.265 हैक्टर
				कुल भूमि :– 2.153 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे; भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 10.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेतेवाला में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर